

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -303/2023

अनवान : -

1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र हरभजन सिंह जाति जटसिख ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर।

— वादीया

बनाम्

1. हरभजन सिंह पुत्र वजीर सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर।
2. रमनदीप कौर पत्नी गुरविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर।
3. सहज नाबालिग पुत्र गुरविन्द्र जरिये दादी बलविन्द्र पत्नी हरभजन जाति जटसिख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर।
4. एकम नाबालिग पुत्री गुरविन्द्र जरिये दादी बलविन्द्र पत्नी हरभजन जाति जटसिख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर।
5. बलविन्द्र पत्नी हरभजन जाति जटसिख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक: 15/5/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा 18 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076-2079 की कुल 4.2720 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात By Birth Right हक हिस्सा है कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण से प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई। वादी के भाई गुरविन्द्र सिंह पुत्र हरभनसिंह का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस बलविन्द्र (पत्नी), सहज (पुत्र), एकम (पुत्री) है। उपरोक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का हक हिस्सा है।

प्रतिवादीया संख्या 4 जो कि प्रतिवादी संख्या 3 की बहिन है तथा प्रतिवादी संख्या 5 जो कि प्रतिवादी संख्या 3 की दादी है व उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझोता रोही मौजा 18 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076-2079



के कुल खसरे 19 का कुल क्षेत्रफल 4.2720 है० भूमि में से प० नं० 332/405 (25) कि किला नं. 11, 12, 19, 20 प्रत्येक की 0.2530 है० कुल 1.012 है० भूमि पर वादी काबिज है तथा प० नं० 331/105 (26) के किला नं. 6, 7, 8, 9 प्रत्येक की 0.2530 है० कुल 1.012 है० भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ब० हि० ब० काबिज है तथा शेष भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 यथावत काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स० 1 ता 6 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है।

साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स० 1 ता 6 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 18 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076-2079 की कुल 4.2720 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं० 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण स० 1 ता 6 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण स० 1 ता 6 को कोई एतराज नहीं है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादीगण स० 1 ता 6 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ़)

### क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 18 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076-2079 के कुल खसरे 19 का कुल क्षेत्रफल 4.2720 है० भूमि में से प० नं० 332/405 (25) कि किला नं. 11, 12, 19, 20 प्रत्येक की 0.2530 है० कुल 1.012 है० भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प० नं० 331/105 (26) के किला नं. 6, 7, 8, 9 प्रत्येक की 0.2530 है० कुल 1.012 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के ब० हि० ब० दर्ज की जावे तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 अपने नाम यथावत रखी रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक.....15/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-.....

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -303/2023

अनवान : -

1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र हरभजन सिंह जाति जटसिख ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर।

— वादीया

बनाम्

1. हरभजन सिंह पुत्र वजीर सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर।
2. रमनदीप कौर पत्नी गुरविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर।
3. सहज नाबालिग पुत्र गुरविन्द्र जरिये दादी बलविन्द्र पत्नी हरभजन जाति जटसिख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर।
4. एकम नाबालिग पुत्री गुरविन्द्र जरिये दादी बलविन्द्र पत्नी हरभजन जाति जटसिख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर।
5. बलविन्द्र पत्नी हरभजन जाति जटसिख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 303 सन 2023 निर्णय दिनांक

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान - 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 18 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्बत 2076-2079 के कुल खसरे 19 का कुल क्षेत्रफल 4.2720 है0 भूमि में से प0 नं0 332/405 (25) कि किला नं. 11, 12, 19, 20 प्रत्येक की 0.2530 है0 कुल 1.012 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प0 नं0 331/105 (26) के किला नं. 6, 7, 8, 9 प्रत्येक की 0.2530 है0 कुल 1.012 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 अपने नाम यथावत रखी रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-.....